<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 3573/2003</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> **करम सिंह**

बनाम

<u>उत्तरवादीगण</u> **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश हेतु 22 नवंबर, 2010 को सूचीबद्ध किया जाए

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3573/2003

याचिकाकर्ता **करम सिंह**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति।

उपस्थित: श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

श्री पी.के. भादुड़ी, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य।

निर्णय एवं आदेश

(पारित दिनांक 22 नवंबर,2010)

1. इस याचिका के माध्यम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत, याचिकाकर्ता दिनांक 01.07.2003 (अनुलग्नक पी/3) के आदेश की

वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती देता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता से ₹64,713/- की राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता दिनांक 04.09.2003 (अनुलग्नक पी/4) के उस आदेश को भी चुनौती देता है, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित किया गया था, जिसके माध्यम से उक्त प्राधिकारी ने दिनांक 01.07.2003 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विचार करने से इंकार कर दिया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त सार यह है कि याचिकाकर्ता गोदाम रक्षक के पद पर कार्यरत था तथा सहकारी विपणन, सक्ती में पदस्थ था। सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ के निर्देश के आधार पर, लेखा परीक्षक ने वर्ष 1984-85 का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता एवं समाज के अन्य पदाधिकारियों द्वारा समाज को हानि पहुँचाई गई है। लेखा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत, उप पंजीयक द्वारा दिनांक 01.12.1988 के आदेश से उत्तरवादी क्रमांक 3 को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उन्हें याचिकाकर्ता एवं अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अपनी जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.01.1992 (अनुलग्नक पी/2) प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि लेखा प्रतिवेदन में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा केवल अनुमान एवं कल्पना पर आधारित हैं।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 02.02.1995 के ज्ञापन द्वारा पंजीयक, सहकारी समितियाँ, ने उत्तरवादी क्रमांक 3 को प्रकरण का पुनः परीक्षण कर उसे गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया। तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर, दिनांक 01.07.2003 का आदेश पारित किया और संबंधित व्यक्तियों पर देयता निर्धारित की। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता पर ₹64,713/- की देयता निर्धारित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अधिकारिता के अभाव के आधार पर दिनांक 04.09.2003 के आदेश द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री भरत, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, यह तर्क करते हैं की उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आदेश अवैध एवं मनमाना है। उत्तरवादी क्रमांक 3 अनुशासनिक प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठ सकते एवं वे दंड आधिरोपित नहीं कर सकते। वस्तुतः लेखा परीक्षण रिपोर्ट याचिकाकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रस्तुत की गई। श्री भरत आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 इस तथ्य

पर विचार करने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता गोदाम रक्षक के पद पर कार्यरत था तथा कथित रूप से समाज को हुए नुकसान में उसका कोई दायित्व नहीं था। उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आदेश सकारण आदेश नहीं है, जो पूर्णतः यांत्रिक ढंग से पारित किया गया है, अतः इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

5. श्री भारत ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह विधि की धाराएँ, जिनके अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, दिनांक 08.05.1994 को अधिनियम से हटा दी गई थीं, और तत्पश्चात दिनांक 02.02.1995 को प्रकरण को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया जाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त आदेश पूर्णतः अवैध है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1960' कहा जाएगा) की धारा 63, प्रकरण को पुनः शुरू करने के आदेश पारित किए जाने से पहले ही विलोपित कर दी गई थी। उन्होंने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई जांच में, याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त पाया गया था, अतः बिना किसी कारण बताए पुनः जांच प्रारंभ करने का कोई औचित्य नहीं था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री भदुरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 को आक्षेपित आदेश पारित करने का पूर्ण अधिकार एवं क्षमता प्राप्त है। श्री भदुरी ने आगे कहा कि अधिनियम, 1960 की धारा 63 को 08.05.1994 को निरसित कर दिया गया था। तथापि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 02.02.1995 को जारी परिपत्र में यह निर्देश दिया गया था कि 8 मई 1994 से पूर्व प्रारंभ की गई कार्यवाही, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी, क्योंकि उन कार्यवाहियों पर उक्त धारा का निरसित नहीं किया गया है। श्री भदुरी ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, जो गोदाम प्रभारी के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने विभिन्न अनियमित गतिविधियों में संलिप्त होकर संस्था को भारी नुकसान पहुँचाया, अतः याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित की गई वसूली की कार्यवाही न्यायसंगत एवं विधिसंगत है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. यह स्पष्ट है कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर जाँच कराए जाने का निर्देश दिया गया था तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 30.01.1992 को अपनी जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता सहित सोसाइटी के

अन्य पदाधिकारियों को उन पर लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि आरोप अस्पष्ट और निराधार पाए गए।

9. याचिकाकर्ता के संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.1992 (अनुलग्नक पी/2) में प्रतिवेदित प्रेक्षण इस प्रकार हैं:

> "आरोप क्रमांक 4 .... प्रमाण पर क्योंकि मोहित लाल के हस्ताक्षर इससे स्पष्ट होता है वारदाना रिपेरिंग का पूरा भुगतान श्रमिक को किया गया है जहाँ तक दर का प्रश्न है अनके क्षक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ओर ना जांच में यह प्रमाणित होता है कि रिपेरिंग चार्ज अधिक दर से भुगतान कर आरोपियों द्वारा लाभ अर्जित किया गया है प्रकरण केवल अंकेक्षक के अनुमान के आधार पर होने के कारण सिद्ध नहीं होता अतः आरोपियों को आरोप से मुक्त करने की सिफारिश ...."

> "आरोप क्रमांक 6 .... आरोपियों द्वारा जो धान की सुखद अपने जवाबदावा में दर्शाई गई है वह स्वाभाविक एवं संस्था के रिकार्डेड पर आधारित है इसके विपरीत अंकेक्षक का आरोप अस्पष्ट एवं आधारहीन हैं. अतः आरोपियों को अधिभार मुक्त करने की सिफारिश करता हूँ"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"आरोप क्रमांक 7 .... अस्पष्ट एवं अनुमान के आधार पर लगाया गया आरोप प्रमाणित न होने से आरोपियों को अधिभारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः आरोपियों को अधिभार मुक्त करने की सिफारिश करता हूँ।"

"आरोप क्रमांक 8 अधिभारित के संबंध में अंकेक्षक का विशेष प्रतिवेदन केवल अनुमान के आधार पर एवं अस्पष्ट है आरोप प्रमाणित नहीं होता कि वास्तव में धान में मिलिंग के पश्चात संस्था को चावल अधिक प्राप्त हुआ था और प्रबंधक द्वारा अतिरिक्त चावल की बिक्री कर राशि का गबन किया गया है। यह (अस्पष्ट) झड़ती के विवाद का है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी विधान के धारा 63 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रमाणित न होने से आरोपियों को अधिभार मुक्त करने की सिफारिश करता हूँ।"

"आरोप क्रमांक अंकेश 9................ अंकेक्षक द्वारा दिया गया प्रतिवेदन अस्पष्ट अपूर्ण एवं प्रमाणक है। जानबूझकर चावल के स्टॉक में कमी बताने की मंशा प्रमाणित नहीं होती. अतः आरोपित राशि रुपए 52,800.00 से आरोपियों अधिभार मुक्त करके की सिफारिश करता हूँ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का यह प्रतिवाद कि, यह स्वीकृत है कि अधिनियम, 1960 की धारा 63 के प्रावधान दिनांक 08.05.1994 से निरसित कर दिए गए थे, जिसे दिनांक 02.02.1995 के परिपत्र द्वारा जारी रखा गया था, विधि की दृष्टि में असंधार्य है। अधिनियम के प्रावधानों का निरसन केवल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही संरक्षित की जा सकती है, न कि किसी परिपत्र के द्वारा। उत्तरवादी-राज्य का यह मामला भी नहीं है कि किसी विधिक प्रावधान के माध्यम से अधिनियम, 1960 की धारा 63 के अंतर्गत पूर्व में की गई कार्रवाई को संरक्षित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पंजीयक, सहकारी समिति ने दिनांक 02.02.1995 के ज्ञापन द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 के मामले को पुनः शुरू करने तथा मामले का निर्णय गुण-दोषों के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया। इस प्रकरण में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि जहाँ एक नियमित अनुशासनात्मक जाँच की गई हो और जाँच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी को आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया हो, क्या अनुशासनिक प्राधिकारी कारण दर्शाए, जाँच रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करने का कोई कारण दर्शाए बिना, जाँच का निर्देश दे सकता है? जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से अनुशासनिक प्राधिकारी की असहमति के संबंध में विधि की स्थिति अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गई है।

12. जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.01.1992 को प्रस्तुत किया गया था। इसके उपरान्त, लगभग तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात्, रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 02.02.1995 (अनुलग्नक आर/3) के आदेश से बिना किसी कारण बताए प्रकरण को पुनः खोलने का निर्देश दिया गया। प्रकरण को पुनः शुरू किया जाना, इस अर्थ में नहीं है कि जांच प्रतिवेदन को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया जाना चाहिए था। दिनांक 02.02.1995 के उपरोक्त निर्देश के आधार पर, सहायक पंजीयक द्वारा दिनांक 01.07.2003 को, जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किए बिना अथवा जांच प्रतिवेदन से भिन्न निष्कर्ष निकालने हेतु कोई कारण दर्शाए बिना, याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1960 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया गया, जबकि आदेश दिनांक 30.06.2003 द्वारा उक्त धारा को 08.05.1994 के प्रभाव से निरसित कर दिया गया था। आगे, उक्त राशि की वसूली का निर्देश भी पारित किया गया। उसके विरुद्ध संयुक्त निदेशक के समक्ष दायर की गई अपील यह कहते हुए ख़ारिज कर दी गई कि अधिनियम, 1960 की धारा 63 या धारा 58-बी के तहत पारित आदेश के विरुद्ध पंजीयक को अपील सुनने का अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

13. अधिनियम, 1960 की धारा 77 उस अपील से संबंधित है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध संयुक्त पंजीयक के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रभाव का कोई बचत या व्यावृतीय खंड नहीं है कि अधिनियम, 1960 की धारा 63 के अंतर्गत सहायक पंजीयक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील उपलब्ध नहीं है।

14. *पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा*[1] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया:

> "19- उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियम 7(2) में पढ़ा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी भी आरोप के संबंध में जांच प्राधिकारी की निष्कर्षों से असहमत होता है, तो उसे अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करने से पहले उस असहमति के लिए अपने अंतरिम कारण दर्ज करने होंगे तथा अभियुक्त अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा, उसके पश्चात ही वह अपना अंतिम निष्कर्ष दर्ज कर सकता है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें उसके निष्कर्ष सम्मिलित हैं, उसे अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा और अपचारी अधिकारी को यह अवसर होगा कि वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्षों को स्वीकार करने हेतु राजी कर सके। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (1988) 7 एससीसी 84

कि हमने पहले ही अवलोकन किया है, यह अपेक्षा करते हैं कि वह प्राधिकारी जिसे अंतिम निर्णय लेना है और और जो शास्ति आदिरोपित कर सकता है, उसे अपचारी अधिकारी को यह अवसर देना होगा कि वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष दर्ज करने से पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके।"

"20. उपर्युक्त निष्कर्ष, जिस तक हम पहुँचे हैं, इस न्यायालय द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के मामले में प्रतिपादित आधारभूत सिद्धांत के अनुरूप भी है। राम किशन मामले के निर्णय से सहमत होते हुए, हमारा मत है कि एस.एस.कोशल तथा एम.सी.सक्सेना के मामलों में व्यक्त विपरीत दृष्टिकोण सम्यक विधि स्थापित नहीं करता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **कैनरा बैंक एवं अन्य बनाम देबाशीष दास एवं अन्य**[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:

"19. प्राकृतिक न्याय की अवधारणा हाल के वर्षों में काफ़ी परिवर्तन से गुज़री है। प्राकृतिक न्याय के नियम हमेशा किसी क़ानून में या उसके तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होते। ये उन कर्तव्यों की प्रकृति से निहित हो सकते हैं जिन्हें क़ानून के अंतर्गत पूरा किया जाना है। किसी विशेष मामले में प्राकृतिक

---

[2] (2003) 4 एससीसी 557

न्याय का कौन-सा नियम निहित होगा और उसका दायरा क्या होगा, यह उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उस क़ानून की रूपरेखा पर निर्भर करेगा जिसके अंतर्गत जांच की जा रही है। न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य के बीच की पुरानी भिन्नता अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ तक कि कोई प्रशासनिक आदेश भी, जिसमे नागरिक परिणाम शामिल हैं, तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना आवश्यक है। "नागरिक परिणाम" शब्द में न केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं, भौतिक वंचनाओं तथा गैर-आर्थिक हानियों का भी समावेश होता है। इसके विस्तृत क्षेत्र में वह सब कुछ आता है जो किसी नागरिक के नागरिक जीवन को प्रभावित करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसके अतिरिक्त, *रंजीत सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य* [3] मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"22. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में अब यह सुस्थापित है कि प्राकृत न्याय के सिद्धांतों का पालन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। उसे अभिलेखों (रिकॉर्ड) पर उपलब्ध सामग्री का

[3] (2006) 4 एससीसी 155

यथोचित परीक्षण भी करना आवश्यक है। जाँच अधिकारी ने ऐसे निष्कर्ष दिए जो अपीलकर्ता के पक्ष में थे। ऐसे निष्कर्षों को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उलटने की आवश्यकता थी। मामले के इस दृष्टिकोण में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति, यद्यपि अपीलीय प्राधिकारी के समान नहीं होती, परंतु उससे मिलती-जुलती होती है। जब जाँच प्रतिवेदन अपीलकर्ता के पक्ष में था, पर अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे निष्कर्षों से भिन्न राय बनाने का प्रस्ताव कर रहा था, तब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के अलावा अपीलार्थी द्वारा दाखिल कारण बताओ की अनुपस्थिति में, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह बाध्यकारी था कि वह अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का पुनः परीक्षण एवं विश्लेषण करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त वर्णित कारणों और विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय किया जाता है कि:

(a) संयुक्त पंजीयक द्वारा दिनांक 04.09.2003 (अनुलग्नक पी/4) को पारित आदेश, जिसमें अधिनियम, 1960 की धारा 63 या धारा 58-बी के तहत अपील के सान्धार्य न होने के आधार पर अपील पर विचार करने से इंकार किया गया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त

पंजीयक ने अधिनियम, 1960 की धारा 77 के प्रावधानों की पूर्णतः अनदेखी की है।

(b) रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 02.02.1995 (अनुलग्नक आर/3) को पारित निर्णय, जिसमें मामले को पुनः खोलने का आदेश दिया गया, बिना इस तथ्य पर विचार किए कि की गई जांच के रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को पूर्णतः दोषमुक्त पाया गया था, विधि के प्रतिकूल है। पंजीयक की यह कार्यवाही जांच रिपोर्ट से असहमति जताने और आदेश पारित करने के समान है, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बिना उचित कारण बताए एवं याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता था, जैसा कि उपर्युक्त में उल्लेखित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(c) दिनांक 01.07.2003 (परिशिष्ट P/3) को सहायक पंजीयक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, यद्यपि यह प्रकट होता है कि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किया गया था, तथापि वह विधि की दृष्टि में सांधार्य नहीं है, क्योंकि यह आदेश 02.02.1995 को पंजीयक द्वारा पारित अनुचित एवं अवैध आदेश पर आधारित था।

(d) तदनुसार , दिनांक 01.07.2003 (अनुलग्नक पी/3) एवं 04.09.2003 (अनुलग्नक पी/4) के आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाते हैं।

18. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, याचिका स्वीकार की जाती है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है। तथापि, प्राधिकारियों को यह स्वतंत्रता है कि वे यदि उचित समझें, तो कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan